न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 33/2016

1. सुल्तान पुत्र स्व. लेखु जाति मेघवाल निवासी दुड़ियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. मनभरी देवी पत्नि स्व. रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी दुड़ियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. अशोककुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी दुड़ियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

आवेदकगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति रैगर निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. शंकरलाल पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति रैगर निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति रैगर निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. सतीश कुमार पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति रैगर निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
5. मीरादेवी पत्नि स्व. प्रभुदयाल जाति रैगर निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अ0 धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 2/7/17

आवेदकगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अ0 धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम दुड़ियां की सरहद में कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 162 रकबा 6 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नम्बर 163 रकबा 5 बीघा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 4 बीघा 15 बिश्वा स्थित थी। जिसमें लादू 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार व मौके पर कब्जा काश्त था। लादू आवेदकगण व दावे में वर्णित प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 का वंशज था। प्रार्थना पत्र में वर्णित धारा 2 में भूमि के नये सेटलमेंट द्वारा खसरा नम्बर 411, 412, 414, 415, 417, 418 किता 6 कुल रकबा 4.73 है0 बने है। उक्त वर्णित भूमि में खसरा नम्बर 411 व 417 पर आवेदकगण व दावे में वर्णित प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के हिस्से में आई। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया था। अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 के पिता प्रभूदयाल ने प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में दिनांक 12.2.1974 को 1/4 हिस्से की भूमि का विकय पत्र विधि विरूद्ध बनवाया था उक्त विकय पत्र में लादू की आयु 60 वर्ष तथा रामेश्वर जो लादु का पोता था उसकी आयु 35 वर्ष अंकित की गई हैं। 1974 की संवत् 2030 बनती तथा दादा व पौते की आयु का मात्र अन्तर 25 वर्ष है। जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी लिख्यात उर्फ लेखू जो आवेदक नं. 1 का पिता फौत होने पर इन्तकाल नं. 134 दिनांक 10.3.1974 को रामेश्वर झाबर रामचन्द्र सुलतान फूलचन्द के नाम 1/4 भूमि का इन्तकाल दर्ज हो गया। जबकि लादू की मृत्यु सन् 1970 में हो चुकी थी तथा लादू के पौत्र रामेश्वर के नाम संवत् 2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। दिनांक 12.2.1974 अनावेदक नं. 1 लगायत 5 का पिता प्रभूदयाल द्वारा कय की गई कृषि भूमि का विकय पत्र आवेदकगण व दावे में वर्णित प्रतिवादी नं. 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (राज.)

Scanned by CamScanner

4 के हक व अधिकारों पर नल एण्ड वोईड है। नल एण्ड वोईड दस्तावेजों से किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि का इन्तकाल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 में इन्तकाल संख्या 167 दिनांक 10.7.1975 को प्रभूदयाल के नाम इन्तकाल तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 411 व 417 किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 पर आवेदकगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मौके पर कब्जा काश्त है।

आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार आवेदकगण का वंशज लादूराम था जिसका उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा था। अनावेदक नं. 1 लगायत 5 द्वारा आवेदकगण की कब्जे काश्त की भूमि से विधि विरूद्ध रूप से बेदखल किया जाता है तो आवेदकगण को अपूर्णिय क्षति होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। अंत में निवेदन किया है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम दुड़ियां के हाल खसरा नम्बर 411 व 417 किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 स्थित है में आवेदकगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अनावेदक संख्या 1, 2, 6 बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अनावेदक संख्या 3, 4, 5 की ओर से उनके वकील श्री हरलाल सैनी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि भूमि खसरा नम्बर 411 स्व. प्रभूदयाल द्वारा विक्रित किया जा चुका है, तथा खसरा नम्बर 417 को उत्तरदातागण काश्त कर रहे है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर से आवेदकगण का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका कब्जा है। बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान खातेदारान के मध्य विभाजन हुआ था। विभाजन के आधार पर अलग अलग राजस्व रिकार्ड बना है। स्व. प्रभूदयाल ने भूमि खसरा नम्बर पुराना 162, 163, 165, 166 का 1/4 भाग कय किया था जो लादू पुत्र भैंरू से कय किया था, तथाकथित विकेता विकय पत्र के समय जीवित थे उक्त विकय पत्र को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उसके सत्य होने की उपधारणा की जावेगी। वैसे भी प्रस्तुत दस्तावेज 30 वर्षों से अधिक समय से पुराना है इसलिए उसके सत्य होने की उपधारणा की जावेगी। आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। रामेश्वर पुत्र लेखु तत्कालिन समय परिवार में बालिग व कर्ता था इस कारण उसका नाम विकय पत्र में अंकित करवाया गया था। ऐसी स्थिति में विकय पत्र के हर कथन से वह पाबन्द है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित करके प्रार्थना पत्र पेश किया है। उत्तरदातागण भूमि खसरा नम्बर 417 का रिकार्डेड खातेदार है, रिकार्डेड खातेदार के विपरित अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वेग होने के कारण निरस्त योग्य है।

बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अ0 धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम की श्रवण की गई। बहस के दौरान आवेदकगण के वकील ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तादावा फैसला होने तक विवादित भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया।

अनावेदक संख्या 3, 4, 5 के वकील ने बहस के दौरान प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम दुड़ियां के भूमि खसरा नम्बर 411 स्व. प्रभूदयाल द्वारा विक्रित किया जा चुका है, तथा खसरा नम्बर 417 को उत्तरदातागण काश्त कर रहे है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर से आवेदकगण का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका कब्जा है। बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान खातेदारान के मध्य विभाजन हुआ था। विभाजन के आधार पर अलग अलग राजस्व रिकार्ड बना है। स्व. प्रभूदयाल ने भूमि खसरा नम्बर पुराना 162, 163, 165, 166 का 1/4 भाग कय किया था जो लादू पुत्र भैंरू से कय किया था, तथाकथित विकेता विकय पत्र के समय जीवित थे उक्त विकय पत्र को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उसके सत्य होने की उपधारणा की जावेगी। वैसे भी प्रस्तुत दस्तावेज 30 वर्षों से अधिक समय से पुराना है इसलिए उसके सत्य होने की

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

उपधारणा की जावेगी। आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। रामेश्वर पुत्र लेखु तत्कालिन समय परिवार में बालिग व कर्ता था इस कारण उसका नाम विक्रय पत्र में अंकित करवाया गया था। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के हर कथन से वह पाबन्द है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित करके प्रार्थना पत्र पेश किया है। उत्तरदातागण भूमि खसरा नम्बर 417 का रिकार्डेड खातेदार है, रिकार्डेड खातेदार के विपरित अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वेग होने के कारण निरस्त योग्य है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। जहां तक आवेदकगण का यह कथन कि **" दिनांक 12.2.1974 अनावेदक नं. 1 लगायत 5 का पिता प्रभूदयाल द्वारा कय की गई कृषि भूमि का विक्रय पत्र आवेदकगण व दावे में वर्णित प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के हक व अधिकारों पर नल एण्ड वोईड है। नल एण्ड वोईड दस्तावेजों से किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि का इन्तकाल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 में इन्तकाल संख्या 167 दिनांक 10.7.1975 को प्रभूदयाल के नाम इन्तकाल तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध है।"** उक्त वर्णित विकय पत्र दिनांक 12.2.1974 को तस्दीक होना अंकित किया है जो काफी अवधि का हो चुका है। प्रभुदयाल ने एक रिकार्डेड खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उसके हिस्से की भूमि को कय किया है। आवेदकगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उसके सत्य होने की उपधारणा की जावेगी। रिकार्डेड खातेदार के विपरित अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार पर आवेदकगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता है तथा ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है। इस प्रकार आवेदकगण को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति कारित होने की कोई संभावना नहीं है। उक्त विवेचन से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अ0 धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 25/5/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner